Che Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931

No. 7731

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

का.आ. 1243(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निवंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और जबिक नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि चालीस मिलियन यात्री प्रति वर्ष की संख्या के साथ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुम्बई की वहन क्षमता समाप्त हो जाएगी। और इस एयरपोर्ट पर विद्यमान विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मुम्बई शहर को एक अन्य एयरपोर्ट की आवश्यकता है;

और जबिक महाराष्ट्र सरकार ने 24 नवम्बर, 1997 को एक स्थान चयन समिति गठित की थी जिसने विचार किए गए तीन स्थानों में से दो रन वे वाले नवी मुम्बई स्थान को अधिक उपयुक्त पाया था और राज्य सरकार के पास नवी मुम्बई में लगभग 80% भूमि उपलब्ध है जिसमें शहर और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ही शामिल हैं और प्रस्तावित स्थान पर पहले से ही पेरीफिरल फिजिकल और सोशल ढांचा मौजूद है और भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तावित स्थान बिल्कुल बीच में स्थित है तथा प्रस्तावित एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा का समय अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है;

और जबकि महाराष्ट्र के शहरी और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित एयर 1841 GI/2009 पोर्ट स्थान तटीय विनियमन जोन-I(i), I(ii), III में पड़ता है और महाराष्ट्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार जल क्षेत्र तथा प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए पेनवैल क्रीक और वाधीवली द्वीप की सांझी सीमा द्वार, कीक्स के कुछ भागों और निचल क्षेत्रों में सुधार करने की आव यकता होगी;

और जबकि माननीय मुम्बई नम्च न्यायालय ने 2006 की लोकहित याचिका में 2009 के नोटिंग ऑफ मोशन सं. 116 के संबंध में अपने दिनांक 29 अप्रैल, 2009 के आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"5. हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस न्यायालय के आदेश द्वारा किसी भी प्राधिकरण को अपने सांविधिक क्रियाकलाप करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकार दिया गया है और 6 अक्तूबर, 2005 के आदेश द्वारा कितपय क्षेत्रों के भीतर निर्माणकर्ता की निर्माण करने से रोका गया है। वह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता।

6. इसलिए, हमें लगता है कि दिनांक 6 अक्तूबर, 2005 का न्यायालय का आदेश किसी भी प्राधिकरण को कानून के अनुसार अपनी साविधिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियां प्रदान करने से नहीं रोकता है। इन टिप्पणियों के साथ इस नोटिस ऑफ मोशन को परिपूर्ण किया जाता है।'';

और जबिक उपर्युक्त के अलावा केन्द्र सरकार ने पर्यावरणीय सरोकारों से समझौता किये बगैर तटीय क्षेत्रों में नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय किया है;

और जबिक केन्द्र सरकार का यह विचार है कि व्यापक लोकहित में मुम्बई के लिए एक अन्य एयरपोर्ट की आवश्यकता है और नवी मुम्बई में एक अन्य एयरपोर्ट का निर्माण करने के लिए नवी मुम्बई स्थित स्थान पर विचार किया जा सकता है;

और जबिक केन्द्र सरकार का यह विचार है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करना और इस कार्य में तेजी लाना लोकहित में आवश्यक है:

और जबिक पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह कहा गया है कि, "उप-नियम (3) में निहित अन्य बातों के होते हुए, जहां केन्द्र सरकार को यह लगता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमावली के उप-नियम (3) के खंड (क) के अन्तर्गत नोटिस की आवश्यकता के बिना भी व्यवस्था कर सकती है";

और जबिक छत्रपति शिवाजी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, मुम्बई में विद्यमान विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का यह विचार है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अन्तर्गत नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करना लोकहित में है;

अत: अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 और धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदृद्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 114(अ) में पुन: संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश: :—

(क) उक्त अधिसूचना में, पैरा 2, उप-पैरा (i) में, उल्लिखित परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा नामश: :—

"इसके अलावा, नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की अनुमित व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन के अधीन होगी, ताकि तटीय पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय शामिल किए जा सकें जो कि नवी मुम्बई क्षेत्र के लिए उपयुक्त होंगे।"

(ख) उक्त अधिसूचना के अनुबंध में :

- (i) मद संख्या (च) के बाद सी आर जैंड शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी, नामशः :—
 - ''(छ) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण व संबंधित गतिविधियां'';
- (ii) मद संख्या (आई ई) के बाद सी आर जैड-II शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी, नामशः :—
 - "(आई एफ) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण व संबंधित गतिविधियां";

- (iii) मद संख्या (V) के बाद सी आर जैड-III शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों में निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी, नामशः :—
- "(vi) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण व संबंधित गतिविधियां";

[फा. सं. एच-11011/6/97-आईए-III] डॉ. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114(अ), दिनांक 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई :—

- 1. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
- 2. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
- 3. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
- 4. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- 5. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- 6. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- 7. का.आ. 988(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- 8. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000
- 9. का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- 10. का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- 11. का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्तूबर, 2001
- 12. का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
- 13. का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2002
- 14. का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
- का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
- 16. का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- 17. का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- 18. का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
- 19. का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2003
- 20. का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005
- 21. का.आ. 451(अ), दिनांक 26 मार्च, 2007

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2009

S.O. 1243(E).—Whereas, by the notification of the

Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991, (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, it has been brought to the notice by the Ministry of Civil Aviation that the Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai would get saturated by 2013 with forty million passengers per annum and in view of special circumstance prevalent at the said Airport, the Mumbai city needs a second airport;

And whereas, the Government of Maharashtra has constituted a site selection Committee on the 24th November, 1997 which found the Navi Mumbai site with two runways more suitable out of the three sites considered and the State Government has about eighty per cent of the land at Navi Mumbai in its possession with City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited and at the proposed site there is peripheral physical and social infrastructure already existing and geographically the proposed site is centrally located and the travel time by road to the proposed airport is as per the international norms;

And whereas, it has been informed by City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited, Government of Maharashtra that the proposed airport site falls in Coastal Regulation Zone-I(i), I(ii), III and water area as per the approved Coastal Zone Management Plan of Maharashtra and the proposed airport would require reclamation of some parts of creeks and low lying areas abutting Panvel creek and Vhagiwali Island:

And whereas, the Hon'ble High Court, Mumbai, in its Order dated the 29th April, 2009 in Notice of Motion No.116 of 2009 in Public Interest Litigation No. 87 of 2006, has observed as under:—

- "5. We do not find any where that any authority has been vested by this Court's order to exercise its statutory functions and powers, and the builder is restrained by order dated 6th O'ctober 2005 from construction within certain areas. That question may not arise at present.
- 6. Therefore, we observe that this Court's order dated 6th October, 2005 does not restrict power of any authority to exercise its statutory power in accordance with law. This Notice of Motion is made absolute with these observations.";

And whereas, in addition to the above, the Central Government has decided to consider the proposal for developing green field airport at Navi Mumbai in the coastal areas without compromising environmental considerations;

And whereas, the Central Government is of the opinion that a second airport is required for Mumbai in public interest in large and the site at Navi Mumbai can be taken up for construction of the second airport;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification:

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, "Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rules";

And whereas, the Central Government, in view of special circumstances prevalent at the Chattrapati Shivaji International Airport, Mumbai, is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 and Section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, namely:—

- (a) In the said notification, in paragraph 2, in subparagraph (i), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided further that the development of green field Airport at Navi Mumbai shall be undertaken subject to detailed scientific study for incorporating adequate environmental safeguard measures required for neutralising damage to coastal environment as may be appropriate to the Navi Mumbai region;";
- (b) in the Annexure to the said notification :-
 - in the entries under heading CRZ-I, after the item (f), the following item shall be inserted, namely:—
 - "(g) development of green field airport and related activities at Navi Mumbai.";
 - (ii) in the entries under heading CRZ-II, after the item (ie), the following item shall be inserted, namely:—
 - "(if) development of green field airport

and related activities at Navi Mumbai".

(iii) in the entries under heading CRZ-III, after the item (v), the following item shall be inserted, namely:—

"(vi) development of green field airport and related activities at Navi Mumbai

[F. No. H-11011/6/97-IA-III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 114(E), dated the 19th February, 1991 and subsequently amended vide notifications:—

- 1. S.O. 595(E), dated the 18th August, 1994
- 2. S.O. 73(E), dated the 31st January, 1997
- 3. S.O. 494(E), dated the 9th July, 1997

manufactor of the state of state of the

and the second of the second

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

- 4. S.O. 334(E), dated the 20th April, 1998
- 5. S.O. 873(E), dated the 30th September, 1998

- 6. S.O. 1122(E), dated the 29th December, 1998
- 7. S.O. 998(E), dated the 29th September, 1999
- 8. S.O. 730(E), dated the 4th August, 2000
- 9. S.O. 900(E), dated the 29th September, 2000
- 10. S.O. 329(E), dated the 12th April, 2001
- 11. S.O. 988(E), dated the 3rd October, 2001
- 12. S.O. 550(E), dated the 21st May, 2002
- 13. S.O. 1100(E), dated the 19th October, 2002
- 14. S.O. 52(E), dated the 16th January, 2003
- 15. S.O. 460(E), dated the 22nd April, 2003
- 16. S.O. 635(E), dated the 30th May, 2003
- 17. S.O. 636(E), dated the 30th May, 2003
- 18. S.O. 563(E), dated the 24th June, 2003
- 19. S.O. 838(E), dated the 24th July, 2003
- 20. S.O. 86(E), dated the 25th January, 200521. S.O. 451(E), dated the 26th March, 2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064